न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :— हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या — 121/2011/223 आर टी ए

1. टहलसिंह पुत्र स्व. भजनसिंह (फौत)

1/1 हरदेवसिंह पुत्र स्व. टहलसिंह जाति जटसिख निवासी रतीरोडी तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब।

1/2 हरबंशसिंह पुत्र स्व. टहलसिंह जाति जटसिख निवासी रतीरोडी तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब।

1/3 नसीबकौर (पुत्री स्व. टहलसिंह) पत्नि जगरूपसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरचक तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

1/4 बलदेवकौर (पुत्री स्व. टहलसिंह) पत्नि पालसिंह जाति जटसिख निवासी गदोढोब तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।

1/5 मलकीतकौर (पुत्री स्व. टहलसिंह) पत्नि वीरसिंह जाति जटसिख निवासी दोदा तहसील दोदा जिला मुक्तसर पंजाब।

1/6 सरबजीतकौर (पुत्री स्व. टहलसिंह) पत्नि बोहड़सिंह जाति जटसिख निवासी डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।

1/7 रणजीत कौर (पुत्री स्व. टहलसिंह) पत्नि करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी बुटर तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।

2. महलसिंह पुत्र भजनसिंह (फौत)

2/1 भूपेन्द्र कौर (पुत्री स्व. महलसिंह) पत्नि सुखमन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी बोदीवाला खड़गसिंह तहसील मलोट जिला मुक्तसर साहब पंजाब।

2/2 मलकीतकौर (पुत्री स्व. महलसिंह) पत्नि हरबंशसिंह जाति जटसिख निवासी हरी नौ तहसील कोटकपुरा जिला फरीदकोट पंजाब।

2/3 सुखजिन्द्र कौर (पुत्री स्व. महलसिंह) पत्नि कुलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी कोठे सपुरासिंह वाले तहसील व जिला भठिण्डा पंजाब।

2/5 मेहरसिंह पुत्र स्व. महलसिंह जाति जटसिख निवासी रतीरोडी तहसील व जिला फरीदकोट।

2/6 कुलविन्द्र कौर (पुत्री स्व. महलसिंह) पत्नि कुलदीपसिंह जाति जटसिख निवासी नथाना तहसील नथाना जिला भठिण्डा पंजाब।

2/7 चरणजीतकौर (पुत्री स्व. महलसिंह) पत्नि शरणजीतसिंह जाति जटसिख निवासी गहरी देवी नगर तहसील व जिला भठिण्डा पंजाब।

3. मेहरसिंह पुत्र महलसिंह जाति जटसिख निवासी रतीरोडी तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब हाल आबाद बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. सरदारासिंह पुत्र भानसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मण्डी किलियांवाली तहसील मलोट जिला मुक्तसर पंजाब।

——अपीलांट

बनाम

1. लाभसिंह पुत्र चड़सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. सिकन्दरसिंह पुत्र चड़सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. लालसिंह पुत्र स्व. नरसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. दर्शनसिंह पुत्र स्व. नरसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. तेजकौर पत्नि स्व. नरसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. तेजासिंह पुत्र मखनसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. गेजासिंह पुत्र मखनसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. आत्मासिंह पुत्र मखनसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. प्रीतमकौर पत्नि स्व. मखनसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पो0/वादीगण

10. छिन्द्रकौर पुत्र स्व. नरसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
11. पालकौर पुत्री स्व. नरसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
12. जसमेलकौर पुत्री स्व. नरसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
13. जसवीर कौर पुत्री स्व. नरसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
14. हरपालकौर पुत्री स्व. चड़सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
15. हरबंश कौर पुत्री स्व. चड़सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
16. छिन्द्रपाल कौर पुत्री स्व. चड़सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
17. जगदीशसिंह पुत्र स्व. गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
18. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
19. तेजकौर पत्नि स्व. गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
20. परमजीतकौर पुत्री स्व. गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
21. सुखदीप कौर पुत्री स्व. गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
22. सर्वजीत कौर पुत्री स्व. गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23. रामनिवास पुत्र स्व. सन्तराम जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 12 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
24. अनिलकुमार पुत्र स्व. सन्तराम जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 12 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
25. संजयकुमार पुत्र स्व. सन्तराम जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 12 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
26. राजसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
27. बुटासिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
28. साहबसिंह पुत्र भागसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
29. पालासिंह पुत्र भागसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
30. मुख्त्यारसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
31. सरजीतसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी रतनपुरा चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
32. मलकीतसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी रतनपुरा चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
33. जगसीरसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी रतनपुरा चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
34. सुखपाल कौर पत्नि स्व. गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी रतनपुरा चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
35. लखविन्द्र कौर पत्नि स्व. हरगोविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी रतनपुरा चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
36. बाजसिंह पुत्र हरगोविन्द्र नाबालिग जरिये कुदरती वली माता लखविन्द्र कौर पत्नि स्व. हरगोविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी रतनपुरा चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
37. हरजीतसिंह पुत्र हरगोविन्द्र सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता लखविन्द्रकौर पत्नि स्व. हरगोविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी रतनपुरा चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
38. दर्शनसिंह पुत्र बन्तासिंह जाति जटसिख निवासी चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
39. नक्षत्रसिंह पुत्र बन्तासिंह जाति जटसिख निवासी चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
40. बलदेवसिंह पुत्र सरवनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
41. तारासिंह पुत्र सरवनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
42. भागसिंह उर्फ मानसिंह पुत्र ज्वालासिंह जाति जटसिख निवासी चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

43. सुरेन्द्र कौर पत्नि जसवीरसिंह पुत्र जगरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
44. अवतारसिंह पुत्र जसवीरसिंह पुत्र जगरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
45. हरमेन्द्रसिंह पुत्र जगरसिंह जाति कुम्हारसिख निवासी जाति जटसिख निवासी चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
46. रविन्द्रजीत कौर पत्नि मनदीपकसिंह जाति जटसिख निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़।
47. कृष्णादेवी पत्नि लखपत जाति बिश्नोई निवासी चक 1 केएसडी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
48. रतनसिंह पुत्र गौरखासिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
49. कलवंतसिंह पुत्र गौरखासिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
50. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
51. गुरदयालसिंह पुत्र कपूरसिंह जाति जटसिख निवासी संगरिया हाल आबाद चक 5 एनटीडब्ल्यू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पो0/प्रतिवादीगण

52. कौरचन्द पुत्र पूर्णचन्द जाति अरोड़ा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
53. कृष्णलाल पुत्र पूर्णचन्द जाति अरोड़ा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
54. सोहनलाल पुत्र पूर्णचन्द जाति अरोड़ा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पो0/पश्चातवर्ती क्रेतागण

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 28.06.2010 व डिक्री दिनांक 29.06.2010 न्यायालय उपखण्डाधिकारी संगरिया प्र0सं0 205/09 अनवानी लाभसिंह बनाम छिन्द्रकौर आदि

उपस्थित :–

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांट्स

श्री प्रद्युम्नसिंह परमार अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री महेन्द्रसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 51

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 52 से 54

निर्णय दिनांकः–26.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ता 9 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर दिनांक 17.11.92 के आदेश के अनुसरण मे दर्ज हुये इन्तकाल सं. 101 दिनांक 21.11.92 का आधार लेकर एवं स्व. अरजनसिह पुत्रियों बसन्तकौर, शामकौर, मुख्त्यारकौर व काका सिंह पुत्र मु0 बसो पुत्री अरजनसिंह का

उक्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा होने का तथ्य छुपाकर चक 6 एनटीडब्ल्यू मे प.न. 175/169 कि.न. 11, 20, 21 प.न. 174/169 कि.न. 15, 16, 24, 25 व प.न. 174/170 कि.न. 3 ता 5 प्रत्येक 0.215 है0 व कि.न. 6 ता 8, 12 ता 14, 17 व 18 कुल 4.554 है0 भूमि के संबंध मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा व खाता विभाजन का अनुतोष चाहा तथा इस वादपत्र मे प्रतिवादी सं. 38/रेस्पो0 सं. 47 ने काउंटर क्लेम प्रस्तुत करते हुए चक 5 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 19/19 प.न. 177/175 कि.न. 16 ता 19, 22 कुल 5 बीघा का खाता विभाजन चाहा तथा प्रतिवादी सं. 42/रेस्पो0 सं. 51 ने काउंटर क्लेम प्रस्तुत करते हुये चक 6 एनटीडब्ल्यू के प.न. 174/170 कि.न. 5 मे 0.215 है0, कि.न. 6 मे 0.090 है0 गैरमुमकिन 0.038 है0 कुल 0.343 है0 का खाता विभाजन चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के जरिये वादपत्र व रेस्पो0 सं. 47 व 51 का कांउटर क्लेम डिक्री किया गया। अपीलांट उक्त निर्णय व डिक्री से अपनी खरीदशुदा भूमि प.न. 175/169 कि.न. 25, प.न. 174/169 कि.न. 15, 16, 24, 25 प.न. 174/170 कि.न. 4 ता 7, 12, 14, 17 प्रभावित हुई। इसलिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ता 9 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्व. अरजनसिंह की पुत्रियों बसन्तकौर, शामकौर, मुख्त्यारकौर व काका सिंह पुत्र मु0 बसो पुत्री अरजनसिंह को अरजनसिह के वारिस होने के तथ्य को छिपाया है। रेस्पो0 सं. 1 ता 9 ने अपने वादपत्र का आधार इन्तकाल सं. 101 दिनांक 21.11.92 को लिया है। यह इन्तकाल तहसीलदार संगरिया के समक्ष रिमाण्डशुदा प्रकरण मे पारित आदेश दिनांक 17.11.92 के आधार पर दर्ज हुआ था। रेस्पो0 सं. 1 ता 9 को इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान रहा है कि तहसीलदार संगरिया के उक्त आदेश दिनांक 17.11.92 को माननीय संभागीय आयुक्त बीकानेर ने अपील सं.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

142/95 मे अपने निर्णय दिनांक 26.06.2000 के अन्तर्गत निरस्त फरमा दिया था। रेस्पो0 सं. 1 ता 9 ने उक्त निर्णय दिनांक 26.06.2000 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील सं. 112/2000 प्रस्तुत की हुई है जो अभी विचाराधीन है। रेस्पो0 सं. 1 ता 9 ने उक्त तथ्य छिपाये हुये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया है। अपीलांट स्व. अरजनसिंह के चार वारिसों बसन्तकौर, शामकौर, मुख्त्यारकौर व काका सिंह के वैद्य हिस्सा के खरीददार है तथा राजस्व रिकार्ड मे उक्त क्रेतागण का नाम हटाये जाने संबंधी आदेश दिनांक 17.11.92 के आधार पर दर्ज इन्तकाल सं. 101 दिनांक 21.11.92 को अपीलीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया था।

4. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष लम्बित द्वितीय अपील सं. 112/2000 मे स्थगन आदेश था तथा अपीलांट ने रेस्पो0 सं. 50 तहसीलदार संगरिया जिनको उपपंजीयक संगरिया की शक्तियां प्रदत है, को दिनांक 01.02.2011 को उक्त स्थगन आदेश की सूचना देते हुये प्रश्नगत भूमि के बैय व नामान्तरण से संबंधित कार्यवाही नही किये जाने का अनुरोध भी किया था लेकिन इसके बावजूद रेस्पो0 सं. 1 ता 9 ने प्रश्नगत भूमि चक 6 एनटीडब्ल्यू के दो बैयनामे रेस्पो0 सं. 52 से 54 के पक्ष मे निष्पादित किये व रेस्पो0 सं. 50 ने पंजीकृत किये। इन बैयनामो की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 18.04.2011 को हासिल करने पर अपीलांट को ज्ञान हुआ कि अपीलांट की खरीदशुदा भूमि से संबंधित भूमि रेस्पो0 सं. 1 ता 9 ने रेस्पो0 सं. 52 से 54 को विक्रय की है तब पड़ताल करने पर अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री का ज्ञान दिनांक 10.06.2011 को हुआ है तथा ज्ञान के दिवस से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही है तथा यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार प्रस्तुत कर रहे है। इसलिये धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे तथा प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को माफ करते हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्दर मानी जावें। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1990 पेज 477, आरआरडी 2009 पेज 195, आरआरडी 1998 पेज 319 आरबीजे 1995 पेज 129, आरबीजे 2001 पेज 313 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.06.2010 व डिक्री दिनांक 29.06.2010 के विरूद्ध बतौर तृतीय पक्षकार बनाये जाने की अनुमति चाहते हुए अपील प्रस्तुत की गई। जिसके अपीलांट अधिकारी नही है। स्व. अर्जनसिंह के चार पुत्र व चार पुत्रियां थी तथा स्व. अर्जनसिंह की चारो पुत्रियों ने एक वाद एसी साहब हनुमानगढ़ के यहां इस आश्य के साथ प्रस्तुत कि स्व0 अर्जनसिंह की भूमि मे मुताबिक बंटवारा उनका हक व हिस्सा है। उक्त वाद मे पूर्ण सुनवाई होने के उपरांत 27.05.1983 को वाद खारिज फरमाया गया है जिससे स्व. अर्जनसिंह की भूमि मे उनकी चारो पुत्रियों का कोई हक हिस्सा नही है इसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 के साथ दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये है तथा विवादित भूमि बाबत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे प्रस्तुत रिट सं. 388/1983 अनवानी महलसिंह बनाम नरसिंह मे माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि विवादित भूमि का बैयनामा बिना विभाजन किये विशेष किला नम्बर की भूमि होने के कारण कब्जा नही है तथा स्वयं अपीलांट भी स्वीकार कर चुके है कि विवादित भूमि के विरासतन इंतकाल बाबत एक अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे विचाराधीन है जिससे साबित होता है कि विवादित भूमि का हक व हिसस के अनुसार नामान्तरण किसके नाम होना है इसलिये तब तक अपीलांट का विवादित भूमि मे किसी प्रकार का हित नही है और ना ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिये प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी खाारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जावें। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2018 पेज 168 के अनुसरण मे कोई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भी व्यथित पक्षकार किसी निर्णय को अगर चुनौती देता है तो उसे यह भी साबित करना होगा कि उस चुनौती से उसे क्या प्राप्त होने वाला है। बिना किसी अनुतोष मांगे किसी निर्णय को अपील के माध्यम से चुनौती नही दी जा सकती है तथा आरआरडी 2018 के पेज 115 के अनुसार कोई भी भूमि का विक्रय जो बिना प्रतिफल प्राप्त किये एवं बिना कब्जा सौंपे हुए किया गया है विधिक रूप से बेअसर है ऐसे विक्रय पत्र से क्रेता को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 2018 पेज 115 व 158, डीएनजे 2014(3) पेज 1118 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपील खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ता 9 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत कर चक 6 एनटीडब्ल्यू मे प.न. 175/169 कि.न. 11, 20, 21 प.न. 174/169 कि.न. 15, 16, 24, 25 व प.न. 174/170 कि.न. 3 ता 5 प्रत्येक 0.215 है0 व कि.न. 6 ता 8, 12 ता 14, 17 व 18 कुल 4.554 है0 भूमि के संबंध मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा व खाता विभाजन का अनुतोष चाहा तथा इस वादपत्र मे प्रतिवादी सं. 38/रेस्पो0 सं. 47 ने काउंटर क्लेम प्रस्तुत करते हुए चक 5 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 19/19 प.न. 177/175 कि.न. 16 ता 19, 22 कुल 5 बीघा का खाता विभाजन चाहा तथा प्रतिवादी सं. 42/रेस्पो0 सं. 51 ने काउंटर क्लेम प्रस्तुत करते हुये चक 6 एनटीडब्ल्यू के प.न. 174/170 कि.न. 5 मे 0.215 है0, कि.न. 6 मे 0.090 है0 गैरमुमकिन 0.038 है0 कुल 0.343 है0 का खाता विभाजन चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के जरिये वादपत्र व रेस्पो0 सं. 47 व 51 का कांउटर क्लेम डिक्री किया गया जो सही है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.06.2010 व डिक्री दिनांक 29.06.2010 के विरूद्ध बतौर तृतीय पक्षकार बनाये जाने की अनुमति चाहते हुए अपील प्रस्तुत की गई। जिसके अपीलांट अधिकारी नही है। स्व.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अर्जनसिंह के चार पुत्र व चार पुत्रियां थी तथा स्व. अर्जनसिंह की चारो पुत्रियों ने एक वाद एसी साहब हनुमानगढ़ के यहां इस आश्य के साथ प्रस्तुत कि स्व0 अर्जनसिंह की भूमि मे मुताबिक बंटवारा उनका हक व हिस्सा है। उक्त वाद मे पूर्ण सुनवाई होने के उपरांत 27.05.1983 को वाद खारिज फरमाया गया है जिससे स्व. अर्जनसिंह की भूमि मे उनकी चारो पुत्रियों का कोई हक हिस्सा नही होना माना गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

7. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेजात अपील के निस्तारण मे सहायक सिद्ध होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर संलग्न दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.06.2010 व डिक्री दिनांक 29.06.2010 के विरूद्ध बतौर तृतीय पक्षकार बनाये जाने की अनुमति चाहते हुए अपील प्रस्तुत की गई। चूंकि अपीलांटस के कथनानुसार एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार अपीलांटस द्वारा स्व. अर्जनसिंह की पुत्रियों से वादग्रस्त भूमि के विभाजन एवं विभाजन के अनुसार कब्जा दिलाये जाने हेतु दावे के लम्बित/विचाराधीन के दौरान क्रय की जाकर विक्रय विलेख पंजीकृत करवाया गया है। उक्त दावे के प्रतिवादीगण एवं अपील के रेस्पो0 के पूर्वज नरसिंह, चडसिंह व मखनसिंह को इस विक्रय पत्र की जानकारी होने के फलस्वरूप विचारण न्यायालय मे उनके द्वारा दिनांक 08.07.1981 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि का विक्रय होने के कारण वादियागण का हक हिस्सा समाप्त हो गया है एवं उनके स्थान पर अथवा वादियागण के पैरो मे क्रेतागण आ गये है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसलिये क्रेतागण को पक्षकार बनाया जावे ताकि विधि के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जा सके। उक्त प्रार्थना पत्र पर वादियागण एवं क्रेतागण द्वारा कोई रूचि नही दिखाये जाने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी निरस्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति मे यह नही माना जा सकता है कि उक्त भूमि के क्रेतागण/अपीलांट को विक्रेतागण के दावे एवं उसके निस्तारण का ज्ञान नही रहा हो। अपीलांट को उस दावे की भूमि मे विक्रय पत्र के आधार पर हित निहित हो जाने के कारण दावे मे पक्षकार बन जाना चाहिए था या उक्त दावा वादियागण के वाद कारण समाप्त होने के आधार पर खारिज हो जाने के फलस्वरूप उसके संबंध मे धारा 96 सीपीसी के प्रावधानो का उपयोग करते हुए अपील संबंधी कार्यवाही की जानी चाहिए थी। इस प्रकार दिनांक 27.05.1983 को उक्त दावे के निस्तारण के पश्चात लगभग 25–30 वर्ष तक अपील संबंधी कार्यवाही नही करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.10 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु धारा 96 सीपीसी का अवलम्ब लिया जाना युक्तियुक्त नही माना जा सकता है। विवादित भूमि बाबत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे प्रस्तुत रिट सं. 388/1983 अनवानी महलसिंह बनाम नरसिंह मे माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि विवादित भूमि का बैयनामा बिना विभाजन किये विशेष किला नम्बर की भूमि होने के कारण कब्जा नही है तथा स्वयं अपीलांट भी स्वीकार कर चुके है कि विवादित भूमि के विरासतन इंतकाल बाबत एक अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे विचाराधीन है जिससे साबित होता है कि विवादित भूमि का हक व हिस्सा के अनुसार नामान्तरण किसके नाम होना है। वादग्रस्त भूमि की विरासत के नामान्तरकरणों संबंधी विभिन्न आदेशो के अपील प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे लम्बित एवं विचाराधीन है जिनके अन्तिम निस्तारण के बाद ही वादग्रस्त के विक्रेतागण एवं अपीलांट के स्वामित्व का निर्धारण सम्भव हो पायेगा। इसलिये जब तक विरासत संबंधी प्रकरणो का अन्तिम निर्धारण नही हो जाता एवं अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा संबंधी साक्ष्य के अभाव मे अपीलांट को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील की अनुमति धारा 96 सीपीसी के प्रावधानो के अन्तर्गत दिया जाना न्यायोचित नही है। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2018 पेज 168 मे यह अवधारणाा पारित की गई है कि कोई भी व्यथित पक्षकार किसी निर्णय को अगर चुनौती देता है तो उसे यह भी साबित करना होगा कि उस चुनौती से उसे क्या प्राप्त होने वाला है। बिना किसी अनुतोष मांगे किसी निर्णय को अपील के माध्यम से चुनौती नही दी जा सकती है तथा आरआरडी 2018 के पेज 115 मे भी यह अवधारणा पारित की गई है कि कोई भी भूमि का विक्रय जो बिना प्रतिफल प्राप्त किये एवं बिना कब्जा सौंपे हुए किया गया है विधिक रूप से बेअसर है ऐसे विक्रय पत्र से क्रेता को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति मे आरआरडी 2018 पेज 168 न्यायिक दृष्टांत के अनुसरण मे प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी बाबत अपील प्रस्तुत की अनुमति का खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी आधार पर खारिज होने योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के संबंध मे उनके विक्रेतागण का विभाजन एवं दखलयाबी के दावे मे पक्षकार नही बनने एवं दावा दिनांक 27.05.1983 को वाद कारण के अभाव मे खारिज हो जाने पर भी 25 वर्ष की लम्बी अवधि तक भी अपील संबंधी कार्यवाही नही करने तथा वादग्रस्त भूमि की विरासत के नामान्तरण के अपीलीय प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल मे विचाराधीन होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के प्रावधानो का लाभ दिया जाना न्यायोचित नही होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाता है तथा तद्नुसार अपील का निस्तारण किया जाकर अपील खारिज की जाती है। जिसके फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2010 व डिक्री दिनांक 29.06.2010 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 121/2011/223 आर टी ए

1. टहलसिंह पुत्र स्व. भजनसिंह (फौत)
1/1 हरदेवसिंह पुत्र स्व. टहलसिंह जाति जटसिख निवासी रतीरोडी तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब।
1/2 हरबंशसिंह पुत्र स्व. टहलसिंह जाति जटसिख निवासी रतीरोडी तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब।
1/3 नसीबकौर (पुत्री स्व. टहलसिंह) पत्नि जगरूपसिंह जाति जटसिख निवासी कीकरचक तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
1/4 बलदेवकौर (पुत्री स्व. टहलसिंह) पत्नि पालसिंह जाति जटसिख निवासी गदोढोब तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
1/5 मलकीतकौर (पुत्री स्व. टहलसिंह) पत्नि वीरसिंह जाति जटसिख निवासी दोदा तहसील दोदा जिला मुक्तसर पंजाब।
1/6 सरबजीतकौर (पुत्री स्व. टहलसिंह) पत्नि बोहड़सिंह जाति जटसिख निवासी डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।
1/7 रणजीत कौर (पुत्री स्व. टहलसिंह) पत्नि करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी बुटर तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
2. महलसिंह पुत्र भजनसिंह (फौत)
2/1 भूपेन्द्र कौर (पुत्री स्व. महलसिंह) पत्नि सुखमन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी बोदीवाला खड़गसिंह तहसील मलोट जिला मुक्तसर साहब पंजाब।
2/2 मलकीतकौर (पुत्री स्व. महलसिंह) पत्नि हरबंशसिंह जाति जटसिख निवासी हरी नौ तहसील कोटकपुरा जिला फरीदकोट पंजाब।
2/3 सुखजिन्द्र कौर (पुत्री स्व. महलसिंह) पत्नि कुलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी कोठे सपुरासिंह वाले तहसील व जिला भठिण्डा पंजाब।
2/5 मेहरसिंह पुत्र स्व. महलसिंह जाति जटसिख निवासी रतीरोडी तहसील व जिला फरीदकोट।
2/6 कुलविन्द्र कौर (पुत्री स्व. महलसिंह) पत्नि कुलदीपसिंह जाति जटसिख निवासी नथाना तहसील नथाना जिला भठिण्डा पंजाब।
2/7 चरणजीतकौर (पुत्री स्व. महलसिंह) पत्नि शरणजीतसिंह जाति जटसिख निवासी गहरी देवी नगर तहसील व जिला भठिण्डा पंजाब।
3. मेहरसिंह पुत्र महलसिंह जाति जटसिख निवासी रतीरोडी तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब हाल आबाद बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. सरदारासिंह पुत्र भानसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मण्डी किलियांवाली तहसील मलोट जिला मुक्तसर पंजाब।

––अपीलांट

बनाम

1. लाभसिंह पुत्र चड़सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. सिकन्दरसिंह पुत्र चड़सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. लालसिंह पुत्र स्व. नरसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. दर्शनसिंह पुत्र स्व. नरसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. तेजकौर पत्नि स्व. नरसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।

6. तेजासिंह पुत्र मखनसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. गेजासिंह पुत्र मखनसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. आत्मासिंह पुत्र मखनसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. प्रीतमकौर पत्नि स्व. मखनसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पो0/वादीगण

10. छिन्द्रकौर पुत्र स्व. नरसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
11. पालकौर पुत्री स्व. नरसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
12. जसमेलकौर पुत्री स्व. नरसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
13. जसवीर कौर पुत्री स्व. नरसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
14. हरपालकौर पुत्री स्व. चड़सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
15. हरबंश कौर पुत्री स्व. चड़सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
16. छिन्द्रपाल कौर पुत्री स्व. चड़सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया जिला हनुमानगढ़।
17. जगदीशसिंह पुत्र स्व. गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
18. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
19. तेजकौर पत्नि स्व. गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
20. परमजीतकौर पुत्री स्व. गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
21. सुखदीप कौर पुत्री स्व. गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
22. सर्वजीत कौर पुत्री स्व. गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
23. रामनिवास पुत्र स्व. सन्तराम जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 12 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
24. अनिलकुमार पुत्र स्व. सन्तराम जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 12 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
25. संजयकुमार पुत्र स्व. सन्तराम जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 12 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
26. राजसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
27. बुटासिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
28. साहबसिंह पुत्र भागसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29. पालासिंह पुत्र भागसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
30. मुख्त्यारसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
31. सरजीतसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी रतनपुरा चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
32. मलकीतसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी रतनपुरा चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
33. जगसीरसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी रतनपुरा चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
34. सुखपाल कौर पत्नि स्व. गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी रतनपुरा चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
35. लखविन्द्र कौर पत्नि स्व. हरगोविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी रतनपुरा चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
36. बाजसिंह पुत्र हरगोविन्द्र नाबालिग जरिये कुदरती वली माता लखविन्द्र कौर पत्नि स्व. हरगोविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी रतनपुरा चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
37. हरजीतसिंह पुत्र हरगोविन्द्र सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता लखविन्द्रकौर पत्नि स्व. हरगोविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी रतनपुरा चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
38. दर्शनसिंह पुत्र बन्तासिंह जाति जटसिख निवासी चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
39. नक्षत्रसिंह पुत्र बन्तासिंह जाति जटसिख निवासी चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
40. बलदेवसिंह पुत्र सरवनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
41. तारासिंह पुत्र सरवनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
42. भागसिंह उर्फ मानसिंह पुत्र ज्वालासिंह जाति जटसिख निवासी चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
43. सुरेन्द्र कौर पत्नि जसवीरसिंह पुत्र जगरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
44. अवतारसिंह पुत्र जसवीरसिंह पुत्र जगरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
45. हरमेन्द्रसिंह पुत्र जगरसिंह जाति कुम्हारसिख निवासी जाति जटसिख निवासी चक 21 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
46. रविन्द्रजीत कौर पत्नि मनदीपकसिंह जाति जटसिख निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़।
47. कृष्णादेवी पत्नि लखपत जाति बिश्नोई निवासी चक 1 केएसडी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
48. रतनसिंह पुत्र गौरखासिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
49. कलवंतसिंह पुत्र गौरखासिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
50. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
51. गुरदयालसिंह पुत्र कपूरसिंह जाति जटसिख निवासी संगरिया हाल आबाद चक 5 एनटीडब्ल्यू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पो0/प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

52. कौरचन्द पुत्र पूर्णचन्द जाति अरोड़ा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
53. कृष्णलाल पुत्र पूर्णचन्द जाति अरोड़ा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
54. सोहनलाल पुत्र पूर्णचन्द जाति अरोड़ा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पो0/पश्चातवर्ती क्रेतागण

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 28.06.2010 व डिक्री दिनांक 29.06.2010 न्यायालय उपखण्डाधिकारी संगरिया प्र0सं0 205/09 अनवानी लाभसिंह बनाम छिन्द्रकौर आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांटस, श्री प्रद्युम्नसिंह परमार अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1, श्री महेन्द्रसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 51 एवं श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 52 से 54 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के संबंध मे उनके विक्रेतागण का विभाजन एवं दखलयाबी के दावे मे पक्षकार नही बनने एवं दावा दिनांक 27.05.1983 को वाद कारण के अभाव मे खारिज हो जाने पर भी 25 वर्ष की लम्बी अवधि तक भी अपील संबंधी कार्यवाही नही करने तथा वादग्रस्त भूमि की विरासत के नामान्तरण के अपीलीय प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल मे विचाराधीन होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के प्रावधानो का लाभ दिया जाना न्यायोचित नही होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाता है तथा तद्नुसार अपील का निस्तारण किया जाकर अपील खारिज की जाती है। जिसके फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2010 व डिक्री दिनांक 29.06.2010 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 26.04.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official